मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 2570 /3359/2000/सी/चार भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- आहरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से किये गये आहरणों का प्रतिमाह प्रमाणीकरण।

राज्य के कोषालयों के माध्यम से जाली आहरणों पर रोक लगाने और कार्यालय प्रमुखों को कोषालय से हुए आहरणों से संसूचित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य किया जावे। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(क) कोषालय द्वारा मासिक लेखा प्रेषण के तत्काल पश्चात् कोषालय से संलग्न समस्त आहरण अधिकारियों को उनके द्वारा गत माह जारी किये गये समस्त चैकों की सूची प्रत्येक माह की 10 तारीख के पूर्व प्रदाय की जावेगी।

(ख) कार्यालय के संबंधित कार्यालय प्रमुख उक्त सूची में उल्लेखित समस्त चैकों की पुष्टि अपने कार्यालय के रिकार्ड से करने के उपरांत उनके संबंध में निम्नानुसार प्रमाण पत्र अंकित करेंगे:-

प्रमाणित किया जाता है कि माह-------------- की जारी चेकों की सूची में क्रमांक-------- से क्रमांक ---------- तक अंकित समस्त प्रविष्टियों की पुष्टि कार्यालय रिकार्ड से की गई है तथा निम्नांकित को छोड़कर शेष सभी चेक इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त होना पाये गये हैं।

उक्त प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित सूची कोषालय को माह की 20 तारीख के पूर्व वापिस लौटाई जावेगी।

(ग) कार्यालय प्रमुख के वेतन देयक के साथ ही उक्त कंडिका (ख) में दिये अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करना हो। इस प्रमाण पत्र के अभाव में कोषालय संबंधित कार्यालय प्रमुख के वेतन देयक को पारित नहीं करेंगे।

(घ) यदि सूची के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आहरण अधिकारी की यह जबाबदारी होगी कि वह तत्काल कोषालय अधिकारी से सम्पर्क कर स्थिति स्पष्ट करवाये।

2. यह व्यवस्था माह दिसम्बर, 2000 के भुगतानों से लागू होगी। कोषालय अधिकारी उक्त निर्देशों की प्रति अपने कोषालय से संलग्न सभी कार्यालय प्रमुखों को तत्काल उपलब्ध करायें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(अशोक दास)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग